

### देश में बिजली की आवश्यकता

1223. श्री नागेश्वर प्रसाद शाही: क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में बिजली की कुल कितनी आवश्यकता है तथा कोयला, पन बिजली और परमाणु शक्ति जैसे विभिन्न साधनों से तथा अन्य प्रत्येक साधन से इस आवश्यकता को पूरा करने के लिये सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

†[Power requirement in the country

1223. SHRI NAGESHWAR PRASAD SHAHI: Will the Minister of ENERGY AND COAL be pleased to state the total power required in the country and the measures proposed to be taken by Government to meet the requirement from different sources, namely, coal, hydel-power, atomic power and other sources in each case?]

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन): देश में विद्युत की मांग का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारण केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के तत्वावधान में किए जाने वाले वार्षिक विद्युत सर्वेक्षण की पद्धति के जरिए किया जाता है। उद्योग तथा बिजली का उपयोग करने वाले आय क्षेत्रों के संबंध में उपलब्ध अद्यतन सूचना को ध्यान में रखकर 10वीं वार्षिक विद्युत सर्वेक्षण समिति के भावी अनुमानों की समीक्षा करने के लिए 11वीं वार्षिक विद्युत सर्वेक्षण समिति का गठन सरकार न किया है। 11वीं विद्युत सर्वेक्षण समिति की रिपोर्ट को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। किए गए अन्तिम निर्धारण के अनुसार वर्ष 1984-85 में वस्तुतः कालीन मांग (ग्रिडल भारत) 32703 मेगावाट होगी तथा ऊर्जा मांग 182077 मिलियन यूनिट होगी। संभावित मांग को

पूरा करने के लिए कई विद्युत परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं और निर्माणाधीन हैं। विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की ध्यानपूर्वक मॉनिटरिंग केन्द्रीय स्तर पर की जाती है। निर्माणाधीन/स्वीकृत परियोजनाओं की अद्यतन प्रगति के आधार पर यह आशा की जाती है कि 1980-85 की अवधि के दौरान 4755 मेगावाट की जेल विद्युत क्षमता 13988 मेगावाट की ताप विद्युत क्षमता तथा 1160 मेगावाट की न्यूक्लीर क्षमता प्रतिष्ठापित हो जाएगी। 1980-85 की अवधि के लिए विद्युत कार्यक्रम तैयार करने तथा 1989-90 तक के पर्याप्त तय करने तथा परियोजनाओं का व्यवहार्य मेल जोल तय करने के लिए योजना आयोग ने एक कार्यकारी दल का गठन किया है। कार्यकारी दल ने अभी अपना रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

†[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): The power demands in the country is assessed at the National level through the system of Annual Power Surveys under the auspices of the Central Electricity Authority. The Government have set up the 11th Annual Power Survey (A.P.S.) Committee to review the projections of the 10th Annual Power Survey (A.P.S.) Committee in the light of the latest available information regarding industries and other consuming sectors. The Report of the 11th A.P.S. Committee has not yet been finalised. According to the tentative assessment made the peak demand (All-India) in the year 1984-85 would be 32703 MW and the Energy requirement would be 182077 MKwh. Several power projects have been sanctioned for meeting the projected demands and are under construction. The implementation of the

power projects is closely monitored at the Central level. On the basis of the latest progress of on-going/sanctioned projects, it is expected that an additional capacity of 4755 MW Hydro, 13988 MW Thermal and 1160 MW Nuclear would be installed during the time frame 1980-85. The Planning Commission have set up a Working Group to draw up the power programme for the period 1980-85 and indicate the perspective up to 1989-90 and the mix of projects feasible. The Working Group has not yet submitted its report.]

**एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अधीन अपंजीकृत कम्पनियों के विरुद्ध कार्यवाही**

1224. श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि लगभग 400 कम्पनियों ने अपने आपको अतःसंबद्ध कम्पनियों के रूप में पंजीकृत नहीं कराया था और जब उनके विरुद्ध एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने कानूनी कार्यवाही शुरू की तो इन कम्पनियों ने अपने आपको बचाने के लिए अपने निदेशक मण्डल में और हिस्सा पूंजी में फेर-बदल कर दिया ; और

(ख) यदि हाँ तो सरकार ने इन कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है या करने का विचार रखती है।

†[Action against companies not registered under MRTP Act

1224. SHRI NAGESHWAR PRASAD SHAHI: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that about 400 companies did not get themselves

registered as inter-connected companies and made changes in their Board of Directors and share capital to save them when M.R.T.P. Commission initiated legal action against those companies; and

(b) if so, what action Government have taken or propose to take against these companies?]

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शिवशंकर) :** (क) तथा (ख)

31-3-1980 तक एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत स्वयं को पंजीकरण कराने के लिए व्यावृत्त उपक्रमों को सरकार द्वारा नये गये 368 "चूक नोटिस" अतिनीति थे, जिनमें यह अनुभव किया गया था कि इस प्रकार की कम्पनियों पंजीकरण योग्य हैं।

कभी कभी कम्पनियाँ निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तनों को करके तथा नियंत्रक-कर्त्ता समूह से सम्बन्धित व्यक्तियों तथा कम्पनियों द्वारा धारित शेयरों का 33 प्रतिशत की निर्धारित सीमा से नीचे करके, अपनियोजन द्वारा पंजीकरण होने में टालमटोल करने का प्रयास करती है। इस प्रकार की दशा में वे शेयर पूंजी के स्वामित्व और निदेशक मंडल की संरचना के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति को प्रस्तुत करते हुए पंजीकरण करवाने को अस्वीकार करती है।

जहाँ कहीं भी सरकार यह पाती है कि उपक्रम स्पष्ट पंजीकरण होने पर भी पंजीकरण से बच रही है या इस सम्बन्ध में किन्हीं कानूनी उपबन्धों का उल्लंघन कर रही है तो उस उपक्रम के विरुद्ध उचित कानूनी कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है।